

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रणजीत सिंह

बनाम

श्यामसिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

230/2022/339

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20⁵/₂₀₂₂

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज

रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रणजीतसिंह - शिवसिंह - पिता मोतीसिंह राजपूत
~~रामसिंह~~ राजपूत पिता श्री मोतीसिंह राजपूत

निवासी- सातपुडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
सातपुडा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 805, 830,
836, 839, 840

कुल कीता 5 कुल रकबा 2.1500 है० की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सातपुडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर 805, 830, 836, 839, 840

कुल कीता 5 रकबा 2.1500 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000000 रुपये अक्षरे एक हजार 2000
प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(श्याम सुन्दर किशोर्)

सहायक कल

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)